अध्याय–I सामान्य

अध्याय-I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों की स्थिति नीचे तालिका 1.1.1 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	16,414.27	20,758.12	25,377.05	30,502.65	33,477.70
	• कर इतर राजस्व	4,558.22	6,294.12	9,175.10	12,133.59	13,575.25
	योग	**20,972.49**	**27,052.24**	**34,552.15**	**42,636.24**	**47,052.95**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	9,258.13	12,855.63	14,977.05	17,102.85	18,673.07
	• सहायतार्थ अनुदान	5,154.39	6,020.33	7,481.56	7,173.92	8,744.35
	योग	**14,412.52**	**18,875.96**	**22,458.61**	**24,276.77**	**27,417.42**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)**	**35,385.01**	**45,928.20**	**57,010.76**	**66,913.01**	**74,470.37**[1]
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**59**	**59**	**61**	**64**	**63**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 47,052.95 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 63 प्रतिशत रहा। वर्ष 2013-14 में शेष 37 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

[1] ब्यौरे के लिए कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपर्युक्त विवरण में 'राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व' में से घटाया गया है एवं 'विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग' में जोड़ा गया है।

1.1.2 बजट अनुमान व वास्तविक प्राप्तियां वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के सम्बन्ध में विवरण निम्न तालिका 1.1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1.2

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान / वास्तविक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2013-14 में 2012-13 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	बजट अनुमान	9,599.64	11,514.82	13,088.08	15,402.08	19,528.00	
	वास्तविक	9,681.38	11,901.24	14,665.63	17,214.34	19,834.72	(+)15
केन्द्रीय बिक्री कर	बजट अनुमान	430.36	215.18	401.92	1,147.92	1,522.00	
	वास्तविक	482.15	728.35	1,100.80	1,360.31	1,380.79	(+)2
राज्य आबकारी शुल्क	बजट अनुमान	2,300.00	2,450.00	2,623.00	3,250.00	4,500.00	
	वास्तविक	2,300.48	2,861.41	3,287.05	3,987.83	4,981.59	(+)25
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
मुद्रांक-न्यायिक	बजट अनुमान	46.47	35.60	43.15	60.14	105.40	
	वास्तविक	30.47	43.07	79.40	144.27	104.59	(-)28
मुद्रांक-गैर न्यायिक	बजट अनुमान	1,393.53	1,379.48	1,577.08	2,264.97	3,268.57	
	वास्तविक	1,104.79	1,522.01	2,153.68	2,693.13	2,577.76	(-)4
पंजीयन शुल्क	बजट अनुमान	210.00	234.92	279.77	474.89	526.03	
	वास्तविक	227.68	375.96	418.29	497.47	442.98	(-)11
मोटर वाहनों पर कर	बजट अनुमान	1,300.00	1,450.00	1,650.00	1,900.00	2,500.00	
	वास्तविक	1,372.87	1,612.25	1,927.05	2,283.13	2,498.90	(+)9
विद्युत पर कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	707.23	778.80	846.64	1,505.25	1,512.61	
	वास्तविक	699.99	905.81	1,094.48	1,570.06	948.93	(-)40
भू-राजस्व	बजट अनुमान	250.06	185.06	196.06	196.06	185.51	
	वास्तविक	147.66	222.17	209.01	304.55	337.98	(+)11
माल एवं यात्रियों पर कर	बजट अनुमान	225.00	252.00	265.00	280.00	300.00	
	वास्तविक	176.10	230.69	220.13	248.57	287.92	(+)16
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	69.59	74.99	78.74	50.99	55.00	
	वास्तविक	58.52	64.43	43.44	48.47	68.46	(+)41
अन्य कर इत्यादि[2]	बजट अनुमान	209.77	450.00	300.00	300.00	50.00	
	वास्तविक	132.18	290.73	178.09	150.52	13.08	(-)91
योग	**बजट अनुमान**	**16,741.65**	**19,020.85**	**21,349.44**	**26,832.30**	**34,053.12**	
	वास्तविक	**16,414.27**	**20,758.12**	**25,377.05**	**30,502.65**	**33,477.70**	**9.75**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत			**26.46**	**22.24**	**20.19**	**9.75**	

विगत चार वर्षों में लगातार राजस्व संग्रहण में वृद्धि रही थी। वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व की सबसे कम वृद्धि (9.75 प्रतिशत) रही।

[2] आय तथा व्यय पर अन्य कर, व्यापार तथा वृत्ति पर कर, श्रम एवं रोजगार तथा भूमि कर।

'अन्य कर' में गिरावट (91 प्रतिशत) मुख्यत: राज्य में भूमि कर के उन्मूलन के कारण रही जबकि विद्युत पर कर एवं शुल्क में गिरावट (40 प्रतिशत) के कारण विभाग से मांगे जाने पर भी प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2014)।

1.1.3 बजट अनुमान व वास्तविक प्राप्तियां वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के सम्बन्ध में विवरण निम्न तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान वास्तविक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2013-14 में 2012-13 पर वृद्धि (+) / कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	बजट अनुमान	1,450.00	1,760.00	2,060.00	2,500.00	3,210.00	
	वास्तविक	1,612.26	1,929.58	2,366.32	2,838.59	3,088.66	(+)9
ब्याज प्राप्तियाँ	बजट अनुमान	1,189.32	1,129.25	1,229.22	1,428.79	1,933.88	
	वास्तविक	1,185.45	1,276.70	1,714.53	2,067.00	2,142.49	(+)4
विविध सामान्य सेवाएं	बजट अनुमान	1,342.83	216.02	195.40	324.29	576.17	
	वास्तविक	739.30	271.19	353.09	686.10	846.36	(+)23
पुलिस	बजट अनुमान	102.00	200.00	150.00	165.00	170.48	
	वास्तविक	126.24	133.93	143.54	192.07	167.27	(-)13
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	बजट अनुमान	52.82	61.49	60.99	78.88	89.94	
	वास्तविक	49.12	80.33	110.99	85.50	147.38	(+)72
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	बजट अनुमान	59.76	61.27	69.21	122.21	90.62	
	वास्तविक	48.83	86.04	91.83	87.21	80.62	(-)8
वानिकी एवं वन्य जीवन	बजट अनुमान	56.79	61.50	61.60	56.05	66.67	
	वास्तविक	56.35	93.20	74.95	91.24	77.52	(-)15
सार्वजनिक निर्माण	बजट अनुमान	64.00	70.00	75.75	75.75	65.00	
	वास्तविक	62.75	62.10	55.85	57.63	69.16	(+)20
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	बजट अनुमान	31.84	42.78	48.17	61.88	61.00	
	वास्तविक	56.55	45.46	59.38	96.04	65.61	(-)32
सहकारिता	बजट अनुमान	30.00	23.81	21.12	23.65	20.42	
	वास्तविक	21.03	16.35	22.38	22.02	18.80	(-)15
अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ[3]	बजट अनुमान	903.64	1,349.82	2,466.69	4,114.64	6,370.23	
	वास्तविक	600.34	2,299.24	4,182.24	5,910.19	6,871.38	(+)16
योग	**बजट अनुमान**	**5,283.00**	**4,975.94**	**6,438.15**	**8,951.14**	**12,654.41**	
	वास्तविक	**4,558.22**	**6,294.12**	**9,175.10**	**12,133.59**	**13,575.25**	**(+)12**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत			**38.08**	**45.77**	**32.24**	**11.88**	

[3] आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली-पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, से अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ संस्थापित है।

विगत चार वर्षों से कर इतर राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि रही। जबकि वर्ष 2013-14 में सबसे कम वृद्धि (11.88 प्रतिशत) रही।

अन्य प्रशासनिक सेवाएं शीर्ष में (72 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यत: नागरिक सुरक्षा, मोटर गैराज व अन्य प्राप्तियों मद में अधिक प्राप्ति के कारण रही।

1.2 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2014 के कुछ मुख्य शीर्षों में राजस्व की बकाया की राशि ₹ 4,032.86 करोड़ जिनमें से ₹ 1,476.82 करोड़, पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे का वर्णन निम्न तालिका 1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2014 तक पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाणिज्यिक कर	3,026.15	1,096.18
2.	परिवहन	63.82	19.30
3.	भू-राजस्व	356.87	56.25
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	172.63	52.93
5.	राज्य आबकारी	219.82	203.88
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	193.57	48.28
	योग	**4,032.86**	**1,476.82**

स्रोत: सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं के आधार पर।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि ₹ 1,476.82 करोड़ पांच वर्षों से अधिक से बकाया है। बकाया किस स्तर पर हैं, जानने के लिये विभागों को लिखा गया (नवम्बर 2014) किन्तु विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया। राज्य आबकारी विभाग द्वारा सूचित किया गया कि ₹ 35.55 करोड़ के प्रकरण अपलेखन हेतु सरकार को प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा अन्य प्रकरणों में भी लगातार कार्यवाही जारी है।

1.3 कर निर्धारण में बकाया

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारण हुए प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण हेतु शेष प्रकरणों का विवरण निम्न तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष 2013-14 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण	कुल देय निर्धारण	वर्ष 2013-14 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 से 4 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर	20	3,72,542	3,72,562	3,72,547	15	99.99
पंजीयन एवं मुद्रांक	5,750	5,378	11,128	4,288	6,840	38.53
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	14,933	13,138	28,071	16,739	11,332	60.00

स्रोत: सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं के आधार पर।

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है कि निस्तारित प्रकरणों का प्रतिशत पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में काफी कम है। विभाग को प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन के प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों एवं अतिरिक्त कर की कायम की गयी मांगों के प्रकरणों का विवरण निम्न तालिका 1.4 में दिया गया है:

तालिका 1.4

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाया प्रकरण	वर्ष 2013-14 के दौरान खोजे प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी होने एवं अतिरिक्त मांग मय शास्ति की गयी		निस्तारण हेतु 31 मार्च 2014 को बकाया प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वाणिज्यिक कर	201	4,379	4,580	4,248	217.98	332

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर।

जैसाकि उपरोक्त तालिका में देखा गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्रकरणों में से 93 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। जबकि इन प्रकरणों के

निपटारे में कितनी राशि की वसूली हुई, विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया (दिसम्बर 2014)।

1.5 धन वापसी के बकाया प्रकरण

विभाग द्वारा बताये अनुसार गत वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में धन वापसी के प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान धन वापसी के निपटाये गये प्रकरण एवं वर्ष 2013-14 के अंत में बकाया प्रकरणों की संख्या को निम्न तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		पंजीयन एवं मुद्रांक	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	182	63.34	918	3.70
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये दावे	5,392	503.13	1,864	8.68
3.	वर्ष के दौरान निपटाये धन वापसी के प्रकरण	5,368	467.89	1,953	7.47
4.	वर्ष के अंत में बकाया दावे	206	98.58	829	4.91

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर विभाग में धन वापसी प्रकरणों में वृद्धि रही जबकि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में बकाया प्रकरणों में कमी आयी। सम्बन्धित विभागों को बकाया प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए। यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि देरी से निस्तारित प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की मापक जांच के लिए महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष तथा उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रतिलिपि भेजते हुए जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण

प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 दिसम्बर 2013 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि 2,896 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 4,592.63 करोड़ राशि के 9,477 अनुच्छेद जून 2014 के अन्त में बकाया थे। जून 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों का विवरण, विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ निम्न तालिका 1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6

विवरण	जून 2012	जून 2013	जून 2014
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,628	2,882	2,896
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	8,260	9,489	9,477
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	5,958.95	7,731.42	4,592.63

1.6.1 विभागानुसार 30 जून 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विवरण नीचे तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.1

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य परिवर्धित कर	590	2,595	835.86
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	24	27	0.07
2.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	435	1,495	186.69
3.	भू-राजस्व	भू-राजस्व	178	408	745.92
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,258	3,342	204.47
5.	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	109	214	80.37
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	302	1,396	2,539.25
योग			**2,896**	**9,477**	**4,592.63**

वर्ष 2013-14 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 24 प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रथम अनुपालना निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुई। बड़ी संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य का सूचक हैं कि लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में बतायी गयी कमियों, त्रुटियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यालय प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा यथेष्ठ कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

सरकार को सम्बन्धित विभागों को इस सम्बन्ध में सलाह देनी चाहिए कि वे लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई कमियों व त्रुटियों को ठीक करने के लिये और अधिक प्रयास करें। कार्यालय प्रमुख को निर्धारित समय में प्रथम अनुपालना भिजवाने हेतु भी निर्देश देवें।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की निगरानी एवं शीघ्र प्रगति के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.6.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.2

क्र. सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	4	शून्य	शून्य	शून्य
2.	परिवहन	3	शून्य	शून्य	शून्य
3.	भू-राजस्व	2	11	74	117.62
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	4	6	70	0.80
5.	राज्य आबकारी	4	शून्य	शून्य	शून्य
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	4	शून्य	शून्य	शून्य
योग		**21**	**17**	**144**	**118.42**

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि भू-राजस्व और मुद्रांक कर में छः बैठकें हुई व 144 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया। जबकि वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, राज्य आबकारी विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों द्वारा 15 बैठकें आयोजित की गयी किन्तु एक भी अनुच्छेद का निस्तारण नहीं किया गया।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में दर्शाया जाता है।

41 ड्राफ्ट पैरा (इस प्रतिवेदन के 34 अनुच्छेदों में संकलित) जिनमें दो निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों को उनके नाम से अप्रेल से दिसम्बर 2014 के मध्य में प्रेषित किये गये थे। विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा चार प्रारूप अनुच्छेदों के उत्तर नहीं दिये गये जिनको उसी रूप में बिना सरकार के उत्तर के इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के लिए वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, विधानसभा में भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगा तथा प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महिने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां विचार-विमर्श के लिए जनलेखा समिति को प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही हैं। राज्य विधानसभा के समक्ष 12 मार्च 2010 से 18 जुलाई 2014 के मध्य, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 को समाप्त होने वाले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुल 190 अनुच्छेद शामिल थे, को प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित विभागों से इन अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ प्रत्येक प्रतिवेदन पर औसतन 70 दिवस विलम्ब से प्राप्त हुई। जनलेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन 2008-09 से 2009-10 के कुल 62 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी थी और 45 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को पांच प्रतिवेदन (2011-12 से 2013-14) में सम्मिलित किया गया है। परिवहन विभाग से जनलेखा समिति की 19 सिफारिशों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी जिनको निम्न तालिका 1.6.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.4

वर्ष	परिवहन विभाग
2008-09	11
2009-10	8
योग	19*

* क्रियान्विति विषयक टिप्पणी 16.1.2015 को देय।

1.7 वाणिज्यिक कर विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

सरकार/विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुद्दों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विभाग का मूल्यांकन किया गया।

आगामी अनुच्छेद 1.7.1 से 1.7.2 में विगत दस वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये प्रकरणों पर एवं वर्ष 2003-04 से 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों पर वाणिज्यिक कर विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा की गयी है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

30 सितम्बर 2014 को वाणिज्यिक कर विभाग के विगत दस वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, इन प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.7.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अन्त में शेष		
		नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
1.	2004-05	274	1,263	456.49	203	838	264.02	95	719	231.77	382	1,382	488.74
2.	2005-06	382	1,382	488.74	228	910	655.53	289	972	560.63	321	1,320	583.64
3.	2006-07	321	1,320	583.64	174	594	327.13	129	557	282.57	366	1,357	628.20
4.	2007-08	366	1,357	628.20	140	617	387.30	113	604	303.46	393	1,370	712.04
5.	2008-09	393	1,370	712.04	78	452	136.57	73	472	387.86	398	1,350	460.75
6.	2009-10	398	1,350	460.75	81	558	56.99	36	296	173.27	443	1,612	344.47
7.	2010-11	443	1,612	344.47	66	633	142.76	33	342	44.47	476	1,903	442.76
8.	2011-12	476	1,903	442.76	104	867	1,897.45	35	354	31.20	545	2,416	2,309.01
9.	2012-13	545	2,416	2,309.01	88	689	1,087.44	21	338	134.77	612	2,767	3,261.68
10.	2013-14	612	2,767	3,261.68	72	526	87.57	73	834	2,565.68	611	2,459	783.57

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकें महालेखाकार कार्यालय व विभाग के मध्य पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु आयोजित की जाती है। जबकि विगत पांच वर्षो से लगातार वर्ष 2013-14 को छोड़कर बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व अनुच्छेदों में बढ़ोत्तरी हो रही है। यह तथ्य इंगित करता है कि विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये हैं जिसकी परिणति बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन व अनुच्छेदों की वृद्धि में हुई।

1.7.2 स्वीकार प्रकरणों में वसूली

वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित विगत दस वर्षो में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और जिनमें वसूली हुई, को निम्न तालिका 1.7.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकार्य अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार्य अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	31 मार्च 2014 तक कुल वसूली
2003-04	7	28.19	6	14.08	0	2.85
2004-05	13	98.45	8	3.06	0	1.59
2005-06	14	100.98	10	10.05	0	1.55
2006-07	9	150.60	6	144.26	0.01	0.15
2007-08	5	17.88	3	0.82	0.22	0.54
2008-09	10	28.24	7	17.79	0	0.96
2009-10	8	4.47	6	3.38	0.60	1.18
2010-11	9	105.18	9	3.38	0	1.95
2011-12	6	396.20	5	337.28	3.05	3.05
2012-13	7	161.16	7	14.51	7.14	7.14
योग	**88**	**1,091.45**	**67**	**548.61**	**11.02**	**20.96**

विभाग द्वारा दस वर्षो के दौरान राशि ₹ 1,091.45 करोड़ के 88 अनुच्छेदों के विरूद्ध केवल ₹ 20.96 करोड़ की वसूली की जा सकी। जबकि राशि ₹ 548.61 करोड़ के 67 अनुच्छेदों को विभाग द्वारा स्वीकार किया जा चुका था। आक्षेपों की स्वीकार राशि में से केवल 3.82 प्रतिशत की ही वसूली हुई थी।

विभाग को स्वीकार प्रकरणों में सन्निहित राशि की वसूली पर निगरानी एवं अनुसरण हेतु शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

1.7.3 सरकार/विभाग द्वारा स्वीकार्य सिफारिशों पर कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप को सम्बन्धित विभागों/ सरकारों को प्रत्युत्तर की अपेक्षा के साथ उनके सूचनार्थ भेजा जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समापन सभाओं में भी चर्चा की जाती है तथा सरकार/विभाग के विचारों को, निष्पादन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु अंतिम रूप देते समय, सम्मिलित किया जाता है।

वाणिज्यिक कर विभाग में पिछले पांच वर्षों में चार निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी जिनमें 24 सिफारिशें कर संग्रहण की प्रणाली एवं कार्य में सुधार हेतु की गयी। विभाग द्वारा सभी सिफारिशों को स्वीकार्य किया गया और 14 सिफारिशों के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए संव्यवहारों के प्रति सत्यापन, अपील प्रकरणों में निस्तारण, कम्प्यूटराईज्ड प्रणाली के अंतर्गत घोषणा पत्रों का ऑनलाइन प्रदर्शन, वार्षिक विवरणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परीक्षण, आगत कर-अनुमत्य करने से पूर्व में जमा कर का सत्यापन इत्यादि पर निर्देश/मार्गदर्शन जारी किये गये। शेष दस सिफारिशों के लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति प्राप्त नहीं हुई हैं (दिसम्बर 2014)।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदनों, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, गत पांच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा से आच्छादित क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, 345 इकाइयों की योजना बनाई गई जिनमें से 343 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी।

कुल दो निष्पादन लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक कर विभाग और खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रत्येक में एक, राजस्व प्रशासन प्रणाली की दक्षता के परीक्षण हेतु की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 343 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में 23,612 प्रकरणों में ₹ 790.81 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि ₹ 452.57 करोड़ के 24,483 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 75.79 करोड़ सन्निहित राशि के 7,179 प्रकरण वर्ष 2013-14 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2013-14 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 7,398 प्रकरणों में ₹ 36.45 करोड़ वसूल किये।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ₹ 228.02 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 34 अनुच्छेद (उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा के दौरान या पूर्व के वर्षों में जिनका पता चला किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके) समाहित हैं जिनमें 'कार्य संविदा पर वैट का आरोपण एवं संग्रहण' व 'अप्रधान खनिजों से प्राप्तियाँ' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल हैं।

विभाग/सरकार ने ₹ 97.66 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें ₹ 5.08 करोड़ वसूल भी कर लिए गये। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए या संतोषप्रद नहीं पाये गये। इन पर आगामी अध्याय-II से VII में चर्चा की गई है।